भारत के उप -राष्ट्रपति का सचिवालय

SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA

नई दिल्ली -110011 (भारत)

NEW DELHI – 110011 (INDIA

TEL.: 011-23016344

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/84/2023-2024 **01 फरवरी, 2024**

सेवा में,

कुमारी व्ही. रजनी
पुत्री स्व. श्री व्ही. नायडू
क्वा. न. 16/एफ़, सड़क न. एवेन्यु डी,
खुर्सीपार ज़ोन-2, भिलाई,
जिला-दुर्ग-490011

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 17.01.2024 का पत्र इस सचिवालय 22.01.2024 में प्राप्त हुआ है, जिसके दस रुपए का पो. ऑ. सं. 62F 122873 संलग्न कर अपने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005, के अंतर्गत बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

आप के आवेदन की जानकारी निम्नलिखित है।

1. इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 दिनांक 30.12.2023 का आवेदन दिनांक 04.01.2024 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ था। **जो कि इस सचिवालय से संबन्धित नहीं था**, तत्पश्चात आप के आवेदन को दिनांक 12.01.2024 को श्रीयुत मुख्य महाप्रबन्धक (कार्मिक), भिलाई इस्पात संयंत्र को अग्रेषित कर दिया गया था (प्रति संलग्न) तथा उसकी एक प्रति आपको भी इस आशय के साथ प्रेषित कि गई थी कि भविष्य में आप श्रीयुत मुख्य महाप्रबन्धक (कार्मिक), भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, कमरा न. 204, द्वितीय तल, इस्पात भवन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़-490001 के कार्यालय से संपर्क करें।
2. बिन्दु संख्या 2 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी अधिकारी है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
rticell-vps@nic.in

RAJESH KUMAR SHARMA
उप सचिव
DEPUTY SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT SECRETARIAT
नई दिल्ली / NEW DELHI-110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

संख्या उ. रा. स./18/01/2023-प्रशासन

12 जनवरी 2024

श्रीयुत मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक)
भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई
कमरा न. 204, द्वितीय तल, इस्पात भवन
जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़-490001

प्रिय महोदय,

माननीय उप-राष्ट्रपति जी को संबोधित कुमारी रंजनी पिता स्व. व्ही नायडू निवासी क्वार्टर न. 16/एफ़, सड़क न. एवेन्यू डी, खुर्सीपार जोन-, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ का दिनांक 30.12.2023 का पत्र इस सचिवालय मे दिनांक 04.01.2024 को प्राप्त हुआ है।

अतः इनका मूल पत्र पूर्ण विवरण सहित प्रचलित नियमानुसार आपके अध्ययन एवं ध्यानाकर्षण/उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आप से अनुरोध है कि उक्त पत्र पर की गई कार्रवाई से आवेदक तथा इस सचिवालय को भी अवगत करने कि कृपा करें।

धन्यवाद

भवदीय,

ह./-

(राजेश कुमार शर्मा)

प्रति सूचनार्थ :- कुमारी रंजनी पिता स्व. व्ही नायडू निवासी क्वार्टर न. 16/एफ़, सड़क न. एवेन्यू डी, खुर्सीपार जोन-, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ कृपया आपसे निवेदन है कि आप भविष्य में पत्र के संदर्भ में की गई कार्रवाई हेतु उपर्युक्त अधिकारियों के कार्यालय से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)

दहा रुपये दस रुपये दश रूप्यकाणि

NOT NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

DIRECTOR GENERAL OF POSTS

PAY TO महामहिम उप-राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भवन

THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

POSTAGE STAMPS

Bhilai Dist - Durg (C.G.)
Pin-490011

62F 122873

// सूचना मांगने हेतु आवेदन – पत्र //

Vice President's Secretariat
D. No. 341
Date 22/1/24
New Delhi

प्रति,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी
महामहिम उपराष्ट्रपति जी,
राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार
नई दिल्ली

आवेदक वी. रजनी पिता का नाम स्व. वी. नायडु
जाति केवट, निवासी छत्तीसगढ़
तहसील दुर्ग, जिला – दुर्ग (छत्तीसगढ़)

<u>विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् जानकारी प्रदान करने बाबत् आवेदन – पत्र ।</u>

आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् मुझे निम्नानुसार जानकारी प्रदान करने की कृपा करें।

1. चाही गई सूचना : ① महामहिम उपराष्ट्रपति जी को 30/12/2023 को [illegible] आवेदन भेजी थी [illegible] पर क्या कार्यवाही किया जा रहा है, जानकारी देवे / मेरा काम कब तक पूरा हो जायेगा हो [illegible] बताया जाये।
② मेरा आवेदन किस अधिकारी के पास पेंडिंग है, उस अधिकारी ने क्या कार्यवाही किया है उसका नाम तथा (राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली भारत सरकार) पद बताया जाये

2. विभाग का नाम :

3. चाही गई सूचना का प्रारूप : सत्य प्रतिलिपि
(सत्य ✓ प्रतिलिपि/फोटोकॉपी/सी.डी./अन्य प्रकार से)

4. सूचना आवेदन पत्र जमा करने का दिनांक : 17/01/2024

5. शुल्क का विवरण : 10 रु. पोस्टल आर्डर

अतः प्रार्थना है कि मेरे द्वारा चाही गई सूचना की जानकारी प्रदान करने की कृपा करें तथा यदि इस संबंध में अतिरिक्त निर्धारित शुल्क जो भी होगा, वह आपके आदेश होते ही पटाने को तैयार हूं। अतः मुझे तत्काल निर्धारित समय में सूचना प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक – 17/01/2024

V. Rajni
आवेदक का हस्ताक्षर

Postal order No- 62F-122873

8

प्रति,

महामहीम उप राष्ट्रपति महोदय जी,
राष्ट्रपति भवन,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषयः– भिलाई इस्पात संयंत्र आरोपीगण द्वारा आवेदिका के पिता की एडवांस कैंसर से मृत्यु का मेडिकल अनफिट सर्टिफिकेट में उल्लेख नहीं करते हुए उनकी बीमारी को छुपाकर किसी अन्य व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कपटपूर्वक प्रवंचना करते हुए कूट रचित दस्तावेज तैयार करने, उन्हें मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में उपयोग करते हुए आवेदिका के साथ छल, धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की शिकायत बाबत्।

आवेदिकाः– कुमारी व्ही. रजनी पिता स्व. व्ही नायडू
निवास–क्वा.नं.–16/एफ, सड़क नं.–एवेन्यु डी, खुर्सीपार जोन–2,
भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आरोपीगणः– 1. मुख्य महाप्रबंधक (कार्मिक)
(संदीप माथुर)
भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई
कार्यालय का पता– कमरा नं.–204, द्वितीय तल–इस्पात भवन,
भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.)
पिन–490001

2. मुख्य महाप्रबंधक, (निशा सोनी)
मानव संसाधन विभाग, बी.टी.आई., एच.आर.डी.
भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.)
पिन–490001

महोदय,

मैं कुमारी व्ही.रजनी पिता स्व.व्ही.नायडू निम्नलिखित निवेदन प्रस्तुत करती है–

1. यह कि, आरोपीगन के संयंत्र में मेरे पिता स्व. व्ही. नायडू, सर्वप्रथम दल्ली राजहरा माईन्स में केन्टीन में अटेण्डेन्ट के पद पर कार्यरत थे जहाँ वे कैंसर से ग्रसित हो गये थे। दल्ली राजहरा में ईलाज के दौरान उन्हें पं. जवाहरलाल नेहरू, चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र सेक्टर–9, भिलाई, रिफर किया गया था। मेरे पिता भिलाई इस्पात संयंत्र के एजुकेशन विभाग में अटेण्डेन्ट के रूप में कार्यरत थे जिसका पर्सनल नंबर–990081 है। मेरे पिता कैन्सर की बीमारी से ग्रसित था जिसका ईलाज आरोपीगण के संयंत्र के अस्पताल पं. जवाहरलाल नेहरू, चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र सेक्टर–9, भिलाई, में हुआ था। मेरे पिता एडवांस कैंसर से पीड़ित थे जिसके कारण उनके दाहिने पावं और पेट

का ऑपरेशन भी आरोपीगण के के संयंत्र के अस्पताल पं. जवाहरलाल नेहरू, चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र सेक्टर–9, भिलाई, इस्पात संयंत्र में ही सम्पन्न हुआ था।

2. यह कि, मेरे पिता के स्वास्थ्य की स्थिति और कार्यक्षमता में कमी को देखते हुए [illegible] [illegible] [illegible] 20/[illegible]/20[illegible] को उपस्थित हुआ था जिसमें मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों द्वारा मेरे पिता को Advance Cencer से पीड़ित होने एवं कार्य करने में असमर्थ होने के कारण **Permanent Medical Unfit** घोषित किया गया किन्तु एडवांस कैंसर से पीड़ित होने एवं एडवांस कैंसर का शल्य चिकित्सा होने के बावजूद उक्त मेडिकल बोर्ड में उपस्थित डॉक्टरों द्वारा जानबूझकर मेरे पिता जो एडवांस कैंसर से पीडित थे उनकी बीमारी का उल्लेख नहीं करते हुए मात्र मेडिकल अनफिट घोषित किया गया जिसमें किस बीमारी के कारण मेडिकल अनफिट हुआ है उसका उल्लेख तक नहीं किया गया। जिस पर मेरे पिता के द्वारा पुनः मेडिकल बोर्ड में **Re-medical examination** करने एवं बीमारी का उल्लेख करने हेतु आवेदन किया गया इस पर मेरे पिता को पुनः **Re-medical examination** कराया गया जिसमें ई.एन.टी. स्पेशिलिस्ट डॉ.ए.के.गर्ग एवं उनकी टीम द्वारा **Re-medical examination** किया गया था जिसका फाईल नंबर–3061, दिनांकित 22/03/2019 है उक्त **Re-medical examination** सेल चेयरमेन श्री अनिल कुमार चौधरी के दिशा निर्देशानुसार किया गया था। जिसकी **Re-medical examination** फाईल और रिपोर्ट को भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा कब्जा कर लिया है। साथ ही कैंसर अस्पताल सेक्टर–1, भिलाई इस्पात संयंत्र चिकित्सा से संबंधित मेरे पिता की फाईल नं.–एन–00153 को भी कब्जा करके रखा हुआ है। ताकि मुझे मेरे पिता के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति न मिल सके। **Re-medical examination** के पश्चात् मेरे पिता का फाईल भर्ती सेक्शन में दिनांक 02/04/2019 को मानव संसाधन विभाग से अनुकम्पा भर्ती नियुक्ति सेक्शन मुर्गा चौक,सेक्टर–1, भिलाई भेज दिया गया था साथ ही एक प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई को भी प्रेषित कर दिया गया था जिसमें साफ तौर पर मेरे पिता को एडवांस

क्रमशः..03

कैंसर होना दर्शाया गया था। **Re-medical examination** की फाईल रिपोर्ट [illegible]

2. [illegible] जो कि स्वयं मेरे भैया व्ही. [illegible] किन्तु अनुराधा सिंह भी आरोपीगण के साथ मिली हुई थी। सभी आरोपीगण का अपने विभाग के अधिकारियों से साँठ–गाँठ एवं मिलीभगत होने से मैं जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ मुझे गुमराह करते हुए आज दिनांक तक **Re-medical examination** का फाइनल डिसीजन रिपोर्ट उसकी कॉपी प्रदान नही किया गया ताकि मेरे मृतक पिता के स्थान पर मुझे अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त न हो जबकि, प्रथम मेडिकल बोर्ड द्वारा जो दिनांक–21/07/2017 को **Re-medical exami-nation** किया गया था उसमें मेरे पिता जो कि एडवांस कैंसर से पीड़ित थे उनकी बीमारी को नहीं दर्शाते हुए उनकी बीमारी के लक्षण सुदेराम, पर्सनल नंबर–897034, ऑपरेटिव्ही सी.ओ. एण्ड सी.सी.डी. विभाग के कर्मचारी के परमानेन्ट अनफिट कॉलम में बीमारी के स्थान पर एडवांस कैंसर होना दर्शा दिया गया जबकि, सुदेराम कभी भी कैंसर से पीड़ित नहीं रहा है और ना ही कैंसर से उसकी मृत्य हुई भी। मेरे पिता के मेडिकल अनफिट मे मात्र कार्सिनोमा जी.बी. सर्कस लिखा गया। वर्तमान में सुदेराम जीवित है और स्वयं का अपना काम धंधा कर रहा है। फर्जी मेडिकल अनफिट रिपोर्ट के आधार पर उसके पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त हो गई और वह वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत है जबकि, मेरे पिता एडवांस कैंसर से पीड़ित होने और सम्पूर्ण ईलाज आरोपीगण के प्राधिकृत अस्पताल पं.जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केन्द्र

क्रमशः..04

सेक्टर–9, भिलाई में होने के पश्चात् भी गलत मेडिकल रिपोर्ट बना दिया जाने के कारण मैं अपने मृतक पिता के वारिसाना को प्राप्त होने वाली अनुकम्पा नियुक्ति के संदर्भ में लगातार आरोपीगण के संयंत्र में चक्कर लगा रही हूँ। आरोपीगण, उनके विभाग के अन्य अधिकारियों एवं मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों द्वारा सॉठ–गॉठ एवं मिलीभगत कर मेरे साथ जानबूझकर कपटपूर्वक षड्यंत्र करते हुए अन्य व्यक्ति को अवांछित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी गरीबी एवं अशिक्षा का लाभ उठाते हुए आरोपीगण एवं उनके विभाग के अधिकारियों ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मेरे साथ छल–कपट एवं धोखाधड़ी किया है।

4. यह कि, आरोपीगण लगातार यह जानते हुए कि, मेरे पिता एडवांस कैंसर से पीड़ित थे और ईलाज के दौरान स्थायी कार्य अक्षमता के कारण (मेडिकल अनफिट के कारण) उनकी मृत्यु कारित हुई थी बावजूद इसके आरोपीगण द्वारा मेरे परिस्थितियों का संज्ञान होने के बावजूद मुझे आज दिनांक तक भ्रमित करते हुए पत्र प्रषित किया जा रहा है कि मेरे पिता जी कैंसर से मुक्त थे बता रहे हैं। मेरे पिता के ईलाज की पर्चियॉं एवं मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट एवं Re-medical examination की रिपोर्ट से यह साफ दर्शित होता है कि, मेरे पिता की मृत्यु एडवांस कैंसर की वजह से हुई है। इसलिए आरोपीगण ने मेरे पिता के Re-medical examination की प्रति आज दिनांक तक मुझे प्रदान नहीं किया है। यहॉं तक कि, मेरे पिता का जो सेक्टर–1, में ईलाज किमो थैरेपी एवं रेडियेशन हुआ है उसकी फाईल को भी जप्त करके छुपा लिये हैं। आरोपीगण का उक्त कृत्य घोर लापरवाही के अन्तर्गत आता है।

5. यह कि, मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात् उनकी पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति से वंचित रखने के लिए आरोपीगण एवं उनके विभाग के अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर मुझे अनुकम्पा नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है आरोपीगण का उक्त कृत्य कूट रचित दस्तावेज तैयार करने और उन्हें मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में उपयोग करने एवं छल–कपट धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि आरोपीगणों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्य करने की महान कृपा करें।

धन्यवाद

आवेदिका

दिनांक [illegible]